न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 212/2024

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2024/339

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.कुम्भाराम पुत्र शेराराम 2.भोमाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी शिवनगरी तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1.देवाराम पुत्र छोगाराम जाति जाट निवासी शिवनगरी तहसील कल्याणपुर 2.मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कल्याणपुर 3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री भंवरलाल विश्नोई अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1

3.विप्रार्थी संख्या 02 व 03 कपक्षीय

:आदेश :

दिनांक– 24/01/2025

1. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण 1.कुम्भाराम 2.भोमाराम पिसरान शेराराम जाति जाट निवासी शिवनगरी तहसील कल्याणपुर ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 390/25 क्षेत्रफल 12.7096 हैक्टयर मौजा शिवनगरी तहसील कल्याणपुर में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 37 में से 03 गटटा चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा में दर्शित ए से बी कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।
2. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री भंवरलाल विश्नोई द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थीगण के आवेदन को अस्वीकार करते हुए विप्रार्थी की तरफ से जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 03 तहसीलदार कल्याणपुर ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल है।

3. तत्पश्चात् प्रकरण में दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तो की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आवेदन-पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 37 भूमि में से 03 गटटा चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता है,प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थीगण को आपति नहीं है। प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

4. विप्रार्थी संख्या 01 अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया गया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योकि प्रार्थीगण की ओर से चाहे गए रास्ता मौके पर अवस्थित ही नहीं है। केवलमात्र विप्रार्थी को परेशान करने की नियत से हस्तगत प्रकरण पेश किया गया है,जबकि विप्रार्थी की खातेदारी संख्या 37 व पड़ौसी खसरा संख्या 443/23 के मध्य आपसी नेखमबंदी व सेढे को लेकर विवाद है,क्योकि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि को पड़ौसी सेढा पड़ौसिया द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है। जिसकी पैमाईश करवाने करवाने के लिए कार्यवाही लंबित है। इस कारण उक्त कार्यवाही लंबित होने के कारण विप्रार्थी के खेत मे से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। जबकि प्रार्थी के खेत व सार्वजनिक कटाण रास्ते के बीच में खसरा संख्या 339/23,442/23,443/23 व 23 के खातेदारान को जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त खसरान पूर्व में शामलाती प्रार्थी व बाकी खातेदारान की खातेदारी में था,जिसका सहमति से बंटवाड़ा करवाने के वक्त रास्ता के लिए भूमि नहीं रखी गए,क्योकि विप्रार्थी की भूमि को हड़प करने के लिए प्रार्थीगण शुरू से ही प्रयासरत थे। प्रार्थीगण की ओर से मिलीभगत करते हुए विप्रार्थी को सूचित किए बिना एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार करवाई गए है। जबकि जवाब के साथ परिशिष्ट ब में दर्शित रास्ता प्रार्थीगण की नजदीक 100 फीट की दूरी पर अवस्थित है। विप्रार्थी की खातेदारी मे से प्रस्तावित रास्ता आधा किलोमीटर दूरी पर है। इस कारण नजदीक रास्ता दिए जाने का प्रावधान है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

5. हमनें दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 37 में से 03 मटटा चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। विप्रार्थी की ओर से उजर उठाया गया कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर अवस्थित नहीं है तथा विप्रार्थी का खसरान व सेढा पड़ौसियो के बीच सीमाओं को लेकर विवाद है तथा परिशिष्ट ब में दर्शित रास्ता नजदीक दूरी मे होने के कारण विप्रार्थी की खातेदार भूमि मे से रास्ता नहीं दिए जाने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 03 तहसीलदार कल्याणपुर ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :–

6. ग्राम शिवनगरी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 37 में आवागमन हेतु संलग्न नक्शा बरंग लाल में दर्शित भूमि निकटतम है,इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के खेत से राजकीय मार्ग तक पहुचने का निकटवर्ती विकल्प विधमान नहीं है,उक्त प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम व प्रयुक्त होना बताया गया।

7. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 390/25 में आवागमन हेतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थीगण आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थीगण द्वारा सिद्ध किया गया है तथा तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट टिप्पणी की है कि प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इस प्रकार प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है तथा नजदीक दूरी का रास्ता है। विप्रार्थी की ओर से उठाए गए उजर के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया,जिससे उनके उजर–एतराज को बल मिलता हो। केवलमात्र मौखिक कथन किए जाने से सफलता नहीं मिलती है। इसके विपरीत प्रार्थीगण यह साबित करने में सफल रहा है कि उसको प्रस्तावित रास्ता दिया जाना अत्यधिक आवश्यक है,क्योंकि प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है।

8. उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 37 मे से क्षेत्रफल 0.0550 हैक्टयर की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर 2,96,000/–प्रति हैक्टयर के अनुसार प्रतिकर हेतु देय कुल राशि–32,560/– रूपये बनती है,जिसको प्रार्थीगण राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम शिवनगरी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 390/25 में पहुंच हेतु विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी खसरा संख्या 37 में से क्षेत्रफल 0.0550 हैक्टयर (लम्बाई 110 मीटर व चौड़ाई 05 मीटर) की सार्वजनिक रास्ता हेतु मौका रिपोर्ट में दर्शित नक्शानुसार बरंग लाल भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 32,560/–(अक्षरे बतीस हजार पांच सौ साठ) रूपयें की राशि विप्रार्थी संख्या 01 को भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

हाजा में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित करावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24/01/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
24/01/2025